

न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद-15 / 2020

कपिलदेव राय वगैरह.....वादीगण

बनाम

श्रीमति चिन्ता देवी वगैरह.....प्रतिवादीगण

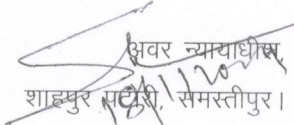
आदेश

18.01.24 अभिलेख आज वादी की ओर से दिवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक-22.09.2023 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान वाद अनुपस्थित प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय अग्रसारित है।

अपने आवेदन में वादी ने यह निवेदन किया है कि वर्तमान वाद वादपत्र के मद सं0-1 में वर्णित भूमि के निस्वत केवाला दिनांक-19.06.2013 को अप्रभावकारी व बिना मूल्य के घोषित कराने हेतु दाखिल किया गया है तथा वर्तमान वाद एकपक्षीय अग्रसारित है। वादपत्र के अवलोकन से पता चला कि टंकक भूल के कारण वादपत्र की कंडिका-1 एवं 2 तथा वंशवृक्ष में वादी के पिता का नाम के स्थान पर राम जपन राय टंकित हो गया है, लेकिन हाल सर्वे खतियान में राम जतन राय वो कन्टीन्यूयस खतियान में राम जयत राय उल्लिखित है जो कि राम जपन राय, राम जतन राय एवं राम जयत राय तीनों नाम वादी सं0-1 के पिता का ही नाम है। अतः उपरोक्त संशोधन को स्वीकृत करते हुए वादी सं0-1 के पिताजी का नाम जहाँ-जहाँ राम जपन राय लिखा हुआ है वहाँ-वहाँ उनका उर्फ करके राम जतन राय और राम जयत राय जोड़े जाने की कृपा की जाए।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद में तामिला सम्पुष्ट पाते हुए न्यायालय आदेश दिनांक-24.03.2021 के द्वारा एकपक्षीय अग्रसारित है तथा वादी साक्ष्य हेतु लंबित है। वर्तमान वाद में संशोधन के संबंध में वादी सं0-1 के नाम के साथ उर्फ में राम जतन राय और राम जयत राय जोड़े जाने का निवेदन किया गया है जो औपचारिक प्रकृति का है। वादी ने अपने संशोधन के समर्थन में खतियान की छायाप्रति दाखिल किए हैं जिससे उनका निवेदन स्पष्ट होता है एवं प्रस्तावित संशोधन उभय पक्षों के मध्य विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। तदनुसार वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त प्रस्तावित संशोधन न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी आदेश की तिथि से 14 दिनों के भीतर अपना वांछित संशोधन वादपत्र में दर्ज करें तथा अगली निश्चित तिथि को वादी साक्ष्य देने हेतु उपस्थित रहें।

वाद दिनांक- 21-03-24 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु उपस्थित रहें।


अवर न्यायाधीश
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।